न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 27/2019

1. श्री रामप्रसाद पुत्र लादू।
2. श्री रामेश्वर पुत्र हरजी।
3. श्री प्रहलाद पुत्र छोटू।
4. श्री वासुदेव पुत्र छोटू।
   समस्त जातिगण धाकड़, निवासीगण कुम्हारिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामचंद्र पुत्र रामनाथ जाति धाकड़ निवासी कुम्हारिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़, प्रार्थीगण।
2. श्री हरिप्रसाद शर्मा, अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 28.01.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी मौजा ग्राम सुनारिया तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
188—187	270	20—00—00	बा. 1

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने एवं कृषि आराजीयात में एवं उपज प्राप्त निकालने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि सरकारी आराजी खसरा नं 267 रकबा 01—09—00 बीघा भूमि में से होकर है। जो कि प्रार्थीगण की आराजीयात के चारो तरफ डली हुई पाल नुमा है जिसके लगवा ही अप्रार्थी सं. 275 स्थित है तथा अप्रार्थी सं. 1 की आराजी के लगवा अप्रार्थी की पाल खसरा सं. 276 स्थित है। प्रार्थीगण उक्त पाल से आज करीब 25 वर्ष से निरन्तर एवं निर्बाध एवं निर्बाध रूप से आराजी के अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। इसके लगवा ही अप्रार्थी संख्या 01 की पाल स्थित है। अप्रार्थी सरवाड़ तहसील में ही राजस्व अधिकारी पटवारी गिरदावर के रूप में कार्यरत है। खसरा सं. 275 क्रय करने के पश्चात राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत करते हुए प्रार्थीगण की आमद रफत की पाल खसरा सं. 267 व अप्रार्थी के आमद रफत की पाल खसरा सं. 276 दोनो ही अलग—अलग होने के उपरान्त भी उक्त पाल को चिन्ह को नष्ट भ्रष्ट कर व राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में काट छांट

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

कर उक्त आराजीयात को एक सामलाती करवा दिया जो अवैध है। यह कि अप्रार्थी धनबल एवं बाहुबल के आधार पर वाद वर्णित आराजीयात को नाप चोप करवाने के बहाने प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में आ रहे एक मात्र रास्ता को अवरूद्ध करने पर आमादा है एवं ऐलानिया धमकी दे रहे है कि वादवर्णित आराजीयात को खुर्दबुर्द करने के एवं प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 14.06.2019 को तहसीलदार सरवाड़ के द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त होने के उपरांत एवं उसके पश्चात दिनांक 17.06.2019 को तहसील कार्यालय में जाकर राजस्व रिकॉर्ड के बारे में मालुमात एवं नकले प्राप्त करने से उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अजहद क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं होगा।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सुनारिया संवत् 2060–2063 खाता सं. 189
- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सुनारिया संवत् 2060–2063 खाता सं. 188
- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सुनारिया संवत् 2060–2063 खाता सं. 153
- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सुनारिया संवत् 2052–2055
- प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल ग्राम सुनारिया
- प्रतिलिपी विक्रय पत्र भंवरसिंह, गोपाल सिंह पुत्र लाधा सिंह दिनांक 12.07.95
- प्रतिलिपी नक्शा ग्राम सुनारिया संवत् 2028
- प्रतिलिपी नक्शा ग्राम सुनारिया संवत् 2027
- प्रतिलिपी नोटिस धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जरिए विद्वान अभिभाषक हरिप्रसाद शर्मा के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया किः–

यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 3 के कथन के उत्तर में निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 270 के उत्तरी ओर रास्ते के लगवां हीउक्त सरकारी आराजी ख. नं. 267 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण के काश्त कर अवैध व गैरकानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी ख. नं. साबिक 276 पर जबरन कब्जा करते हुए अप्रार्थी को बेदखल करने पर आमाद है एवं प्रार्थीगण ने न्यायालय से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। यह कि अप्रार्थी की आराजीय ख. नं. साबिक 270 रकबा 15 बिस्वा किस्म बा. 1 अप्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदशुदा आराजी है। जिस पर अप्रार्थी दिनांक 20.02.1992 से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 में वर्णित सिवायचक पाल साबिक ख. नं. 267 रकबा 1.09 बीघा हाल ख. नं. 286 सरकारी भूमि है जो

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत साबिक ख. नं. 270 रकबा 20 बीघा के उत्तर दिशा की भुजा के समीप है जिसे खुर्द बुर्द कर अपने खेत में मिलाकर वर्णित पाल एवं कुम्हारिया से सुनारिया जाने वाले आम रास्ते के मध्य स्थित हाल ख. नं. 285 साबिक ख. नं. 283 से समस्पर्शी लगवा स्थित है। जिससे प्रार्थना पत्र में यह वर्णित करना कि सिवायचक पाल ख. नं. साबिक 267 में होकर प्रार्थीगण का एक मात्र रास्ता होने संबंध कथन कतई गलत मिथ्या एवं मनगढत होने के कारण कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त पाल को खेत में मिलाकर काश्त किया जाता है। अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की पाल हाल ख. नं. 296 साबिक ख. नं. 276 रकबा 0.12 हैक्ट. के प्रार्थीगण के खेत से लगवा भाग को हड़पने तथा जबरन काश्त कर अप्रार्थी व उसकेभाईयों की आराजी में आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से उक्त भाग को सिवायचक पाल हाल ख. नं. 286 साबिक 267 का हिस्सा बताने का बदनियति पूर्वक प्रयास है। प्रार्थीगण के ख. नं. 270 के लगवा पूर्व दिशा में प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की रास्ते के लिए खरीदशुदा खातेदारी पाल साबिक ख. नं. 276 हाल ख. नं. 296 स्थित है। जिसे सिवायचक पाल हाल ख. नं. 286 का हिस्सा बताकर जबरन हडपने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है तथा अप्रार्थी पूर्व में भी सीमाज्ञान करवा चूका है। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के भाईयों द्वारा उक्त आराजीयात को पूर्व खातेदारान से खातेदारी खेत ख. नं.293, 294, 295 की काश्त के लिए आने जाने के रास्ते के उपयोग हेतु ही हाल ख. नं. 296 साबिक ख. नं. 276 है को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र सं. 64/92 दिनांक 20.02.1992के विक्रयपत्र 141/98 दिनांक 23.03.1998 द्वारा क्रय किया गया था। यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 में प्रार्थी के विरूद्ध राजस्व विभाग में नोकरी करने के कारण रिकॉर्ड में हैराफेरी एवं पद के दुरूपयोग के गंभीर आरोप लगाये गये है। जिन्हें सिद्ध करने की जिम्मेदारी प्रार्थीगण की है जबकि प्रार्थीगण ने ही राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगती कर तहसील से नकल नक्शा ट्रेस ज़ारी कराने के बाद स्वंय के स्तर पर पाल ख. नं. साबिक 276 हाल 296 के ट्रेस में मंशकूकी (कांट छांट) कर हैराफेरी की है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 5 में वर्णित आरोप कतई गलत मिथ्या एवं मनगढत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार व अमान्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी प्रस्तुत अभिलेख अतिक्रमण संबंधी ही पेश किये गये है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी ख. नं. 273, 274, 275, 276 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पूर्व खातेदारान से खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 7 में वर्णित कथनों के उत्तर में निवेदन है कि अप्रार्थी को किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण को कोई अजहद क्षति नहीं होगी ना ही बहुवाद की कार्यवाहीयों का सामना करना पड़ेगा। क्यो कि प्रार्थीगण की उक्त वादवर्णित आराजीयात रास्ते के लगवा ही स्थित है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात को हडपना चाहते है। अतः प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अप्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

- प्रतिलिपी विक्रयपत्र पंजीयन सं. 64/92 दिनांक 20.02.1992
- प्रतिलिपी विक्रयपत्र पंजीयन सं. 141/98 दिनांक 23.03.1998

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

- प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल सं. 2027 भूमि एकीकरण ख. नं. 160
- प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल सं. 2027 भूमि एकीकरण ख. नं. 158
- प्रतिलिपी जमाबंदी भूमि एकीकरण ख. नं. 160 ग्राम सुनारिया संवत् 2020
- प्रतिलिपी जमाबंदी भूमि एकीकरण ख. नं. 158 ग्राम सुनारिया संवत् 2020
- नक्शा ट्रेस भूमि एकीकरण ख. नं. 160
- नक्शा ट्रेस भूमि एकीकरण ख. नं. 158
- प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल हाल ख. नं. 296
- प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल हाल ख. नं. 286
- नक्शा ट्रेस भू शुद्धिकरण ख. नं. 296
- नक्शा ट्रेस भू शुद्धिकरण ख. नं. 286
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सुनारिया संवत् 2071–2074

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा साबिक ख. नं. 267 के हाल ख. नं. 286 में से रास्ता होने व अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख. नं. 267 हाल ख. नं. 286 सिवायचक भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः अपूर्तनीय क्षति की भी प्रार्थी को कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:27:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: